29/7/25

पत्रावली अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 C.P.C वास्ते वाद बिड़ो वापस करने पर तलब की गई। प्रार्थना पत्र शामिल फाइल है। प्रकरण में अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहकर उसी स्तर पर वाद बिड़ो बिना लड़े का निवेदन किया। वादी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः वादी द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 C.P.C. को स्वीकार कर पत्रावली को उसी स्तर पर शेष किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार दोयम नम्बर से मय हो।

निर्णय सुनाया गया।

Retd

Identified by

Chaudhary

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:02:37 IST
Reason: SelfAttested